न्यायालय-अनन्य विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.)

(समक्षः गौतम सिंह मरकाम)

:: प्रारूप-घ ::

S.C.	03/2025
Date of Filling	10-01-2024
Filling No.	81/2025
CNR No.	MP500100 0116 2025
Charge U/S	64 (1) BNS, 2023 & 3/4 Pocso Act 2012 & 67 (B), 66 (E) I.T. Act
F.I.R. No.	18/2024

अभियोगी/परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा थाना प्रभारी महिला पुलिस थाना जिला बालाघाट (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती आरती कपले, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	अली मोहम्मद इंसाफ शेख उर्फ राज उम्र 21 वर्ष पिता इम्तेयाज शेख निवासी मकान नंबर 161, श्री जी. नगर-1 गोडादरा, थाना लिम्बायत जिला सूरज (गुजरात)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद नावेद, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस कांउसेल।

:: प्रारूप-ङ ::

अपराध की तारीख	09.08.2024 से 08.10.2024

प्रथम सूचना की तारीख	08.10.2024
आरोप-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	10.01.2024
आरोपों के विरचना की तारीख	29.04.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	20.05.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	10.03.2026
निर्णय की तारीख	12.03.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	-

:: अभियुक्त का विवरण ::

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	अली मोहम्मद इंसाफ शेख उर्फ राज	15-10-24	न्यायिक अभिरक्षा में है	64 (1) BNS, 2023 & 3/4 Pocso Act 2012 & 67 (B), 66 (E) I.T. Act	**दोषमुक्ति**	-	01 वर्ष 04 माह 25 दिन

:: प्रारूप-च ::

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

1	अभियोक्त्री	पीड़ित साक्षी
2	अभियोक्त्री की मां	अन्य साक्षी
3	अभियोक्त्री के पिता	अन्य साक्षी
4	शोभा गौतम (शिक्षक)	अन्य साक्षी
5	डॉ. गौरव करवते	चिकित्सीय साक्षी
6	शालिनी सिंह	पुलिस साक्षी
7	किरण वटके	पुलिस साक्षी
8	डॉ. गीता बारमाटे	चिकित्सीय साक्षी
9	बलराम यादव	पुलिस साक्षी
-	अशोक ननामा	पुलिस साक्षी
10	विपिन डहेरिया	पुलिस साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी :-

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
-	-	-

ग. न्यायालयीन साक्षी :-

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
-	-	-

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची.

क. अभियोजन

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1/अभि.सा.क्र.1	लिखित शिकायत
2	प्रदर्श पी 2/अभि.सा.क्र.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी 3/अभि.सा.क्र.1	सहमति पत्र
4	प्रदर्श पी 4/अभि.सा.क्र.1	मौकानक्शा
5	प्रदर्श पी 5/अभि.सा.क्र.1	जप्ती पत्रक
6	प्रदर्श पी 6/अभि.सा.क्र.1	अभियोक्त्री के न्यायालयीन बयान
7	प्रदर्श पी 7/अभि.सा.क्र.1	अभियोक्त्री के पुलिस बयान
8	प्रदर्श पी 8/अभि.सा.क्र.3	आरोपी का मेमोरण्डम
9	प्रदर्श पी 9/अभि.सा.क्र.3	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक
10	प्रदर्श पी 10/अभि.सा.क्र.2	आरोपी के मोबाईल का जप्तीपत्रक
11	प्रदर्श पी 11/अभि.सा.क्र.4	दाखिल खारिज पंजी हेतु पत्र
12	प्रदर्श पी 12/अभि.सा.क्र.4	दाखिल खारिज में अभियोक्त्री की जन्मतिथि की प्रविष्टि
-	प्रदर्श पी 12सी/अभि.सा.क्र.4	दाखिल खारिज में अभियोक्त्री की जन्मतिथि की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति
13	प्रदर्श पी 13/अभि.सा.क्र.4	शाला प्रमाण पत्र
14	प्रदर्श पी 14/अभि.सा.क्र.4	जप्ती पत्रक
15	प्रदर्श पी 15/अभि.सा.क्र.5	अभियुक्त की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट
16	प्रदर्श पी 16/अभि.सा.क्र.5	आईडेंटिफिकेशन फार्म
17	प्रदर्श पी 17/अभि.सा.क्र.6	अभियोक्त्री का मुलाहिजा फार्म
18	प्रदर्श पी 18/अभि.सा.क्र.6	अभियोक्त्री की वैजाईनल स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर का जप्तीपत्रक
19	प्रदर्श पी 19/अभि.सा.क्र.7	धारा 63 (4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
20	प्रदर्श पी 20/अभि.सा.क्र.7	जप्तीपत्रक
21	प्रदर्श पी 21/अभि.सा.क्र.8	अभियोक्त्री का न्यू एम.एल.सी. फार्म

22	प्रदर्श पी 22/अभि.सा.क्र.9	धारा 63 (4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
23	प्रदर्श पी 23/अभि.सा.क्र.9	मोबाईल नंबरों का सी.डी.आर.
24	प्रदर्श पी 24/अभि.सा.क्र.9	कैफ
25	प्रदर्श पी 25/अभि.सा.क्र.9	कैफ
26	प्रदर्श पी 26/अभि.सा.क्र.9	कैफ
27	प्रदर्श पी 27/अभि.सा.क्र.9	होटल आंगतुक एन्ट्री रजिस्टर का जप्ती पत्रक
28	प्रदर्श पी 28/अभि.सा.क्र.9	दाखिल खारिज पंजी प्रदाय हेतु पत्र
29	प्रदर्श पी 29/अभि.सा.क्र.9	दाखिल खारिज पंजी एवं शाला प्रमाण का जप्ती पत्रक
30	प्रदर्श पी 30/अभि.सा.क्र.9	आरोपी का सीमेन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, ब्लड सेंपल का जप्तीपत्रक
31	प्रदर्श पी 31/अभि.सा.क्र.9	धारा 63 (4)(ग) साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
32	प्रदर्श पी 32/अभि.सा.क्र.9	जप्तीपत्रक
33	प्रदर्श पी 33/अभि.सा.क्र.9	आरोपी का वीवो कंपनी का जप्तीपत्रक
34	प्रदर्श पी 34/अभि.सा.क्र.9	एफ.एस.एल. सागर का ड्राफ्ट
35	प्रदर्श पी 35/अभि.सा.क्र.9	पावती
36	प्रदर्श पी 36/अभि.सा.क्र.9	डी.एन.ए. रिपोर्ट
37	प्रदर्श पी 37/अभि.सा.क्र.9	सायबर फारेंसिक यूनिट जोन बालाघाट को जांच हेतु भेजे गये आरोपी के मोबाईल का ड्राफ्ट
38	प्रदर्श पी 38/अभि.सा.क्र.9	पावती
39	प्रदर्श पी 39/अभि.सा.क्र.9	सायबर फारेंसिक यूनिट जोन बालाघाट को जांच हेतु भेजे गये अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल का ड्राफ्ट
40	प्रदर्श पी 40/अभि.सा.क्र.9	पावती
41	प्रदर्श पी 41/अभि.सा.क्र.9	फारेसिंक रिपोर्ट
42	प्रदर्श पी 42/अभि.सा.क्र.9	फारेसिंक रिपोर्ट

ख. प्रतिरक्षा

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.डी.1/अ.सा.2	अभियोक्त्री की मां के पुलिस बयान
2	प्र.डी.2/अ.सा.3	अभियोक्त्री की मां के पुलिस बयान

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
-	-	-

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए-1/अ.सा.7	अभियोक्त्री के कथन की सी.डी.
2	आर्टिकल ए-2/अ.सा.9	आरोपी के मोबाईल जप्ती की विडियोग्राफी सी.डी.
3	आर्टिकल ए-3/अ.सा.9	आरोपी का मोबाईल
4	आर्टिकल ए-4/अ.सा.9	अभियोक्त्री के पिता का वीवो कंपनी का मोबाईल

महिला पुलिस थाना बालाघाट (म.प्र.) के अपराध क्रमांक 18/2024 अपराध अंतर्गत धारा 64 (1) BNS, 2023 & 3/4 Pocso Act 2012 & 67 (B), 66 (E) I.T. Act से उद्भूत विशेष प्रकरण।

(नि र्ण य)

(<u>आज दिनांक</u> 12 मार्च, 2026 <u>को घोषित किया गया</u>)

1. अभियुक्त अली मोहम्मद इंसाफ शेख उर्फ राज पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(1) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67(बी), 66 (ई)

के अंतर्गत आरोप हैं कि, उसने दिनांक 09.08.2024 को अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका है, को शेर-ए-पंजाब होटल बालाघाट में बुलाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया एवं बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा अभियोक्त्री की अश्लील फोटो अपने मोबाईल से खींचकर उसे अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल पर प्रसारित किया अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसकी एकांतता का उल्लंघन कर उसके अश्लील फोटोग्राफ्स खींचे तथा उन्हें प्रकाशित एवं पारेषित किया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था।

3. अभियोजन द्वारा बताई गई घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता अभियोक्त्री ने अपने परिजन के साथ महिला पुलिस थाना बालाघाट में उपस्थित होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट लेख कराई कि वह कक्षा 12वीं की पढ़ाई शासकीय एम.एल.बी. स्कूल बालाघाट से कर रही है। करीब 04 माह पूर्व उसके इंस्टाग्राम आई.डी.---buzz--toshiii से राज पटेल नामक व्यक्ति से उसकी आई.डी. -mr-raj-rd-ore- से दोस्ती हुई थी तथा कुछ दिन बाद राज पटेल ने उसका मोबाईल नंबर बात करने के लिये मांगा तो अभियोक्त्री ने अपनी मां रीना महानंद का मोबाईल नंबर 7697030105 दे दिया जिसमें राज पटेल ने मोबाईल नंबर 9328310329 से कॉल किया तथा व्हाट्सएप से कॉल किया और उससे विडियो पर भी बात होने लगी उसी दौरान राज पटेल ने उसे बताया कि उसका असली नाम इंसाफ शेख है और वह कपड़ा दुकान में काम करता है तथा दिनांक 09.08.2024 को इंसाफ उससे मिलने बालाघाट आया और उसे मिलने के लिए शेर-ए-पंजाब होटल में बुलाया तो वह अपनी फ्रेंड रितिका ठाकुर के

साथ इंसाफ से मिलने सुबह करीब 11:00 बजे शेर-ए-पंजाब होटल गई। होटल में कुछ देर बैठने के बाद वे लोग गांगुलपारा झरना घूमने गये। गांगुलपारा से वापस आने के बाद रितिका अपने घर चली गई। इंसाफ ने उससे कहा कि उसके साथ कुछ देर और रहो और उसे होटल के रूम में लेकर गया जहां पर जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने कहा कि वह उसकी शिकायत करेगी तो इंसाफ ने कहा कि यदि किसी को बताई तो वह उसकी बिना कपड़े वाली फोटों खींचकर रखा है, जिसे वायरल कर देगा तो उसने घटना किसी को नहीं बताई और होटल से सीधे अपने घर आ गई। उसके बाद आए दिन इंसाफ उसे फोन करने लगा तो उसने इंसाफ का नंबर ब्लाक कर दी तो इंसाफ अलग नंबरों 9692136182 व 8733050918 से फोन करने लगा जब वह बात नहीं करती तो उसकी अश्लील फोटो को उसके पिता के व्हाट्सएप नंबर 9425036278 में भेज दिया और उसके पिता को धमकाने लगा कि उसकी लड़की की बिना कपड़ों वाली बहुत सी फोटो है, लड़की बात नहीं करेगी तो वह उसे वायरल कर देगा उसके बाद माता-पिता ने मोबाईल पर आयी फोटो के संबंध में उससे पूछताछ किये तो उसने संपूर्ण घटना माता-पिता को बताई और माता-पिता के साथ थाना आकर लिखित रिपोर्ट पेश की। उक्त के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध महिला पुलिस थाना बालाघाट में अपराध क्रमांक 18/2024 अंतर्गत धारा 64 (1) BNS, 2023 & 3/4 Pocso Act 2012 & 67 (B), 66 (E) I.T. Act के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। संपत्ति जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने अपना अभिवाक् करते हुए यह कहा है कि उसके द्वारा अपराध कारित नहीं किया गया। उक्त अभिवाक् को लेख करते हुए उसका विचारण किया गया। विचारण के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने बचाव में कहा है कि वह निर्दोष है उसके द्वारा अभियोक्त्री के साथ किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है।

5. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :-

1- **क्या अभियोक्त्री घटना दिनांक 09.08.2024 को 18 वर्ष से कम आयु की होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-2 (डी) के अधीन "बालक" थी ?**

2- **क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.08.2024 को दिन के 11:00 बजे या उसके आसपास पुलिस थाना कोतवाली बालाघाट सीमांतर्गत शेर-ए-पंजाब होटल में अवयस्क अभियोक्त्री को बुलवाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया ?**

3- **क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर अवयस्क अभियोक्त्री की अश्लील फोटो अपने मोबाईल से खींचकर उसे अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल नंबर पर भेजकर प्रसारित किया ?**

4- **क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय, स्थान पर अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसकी एकांतता का उल्लंघन कर उसके अश्लील फोटोग्राफ्स खींचे तथा उन्हें प्रकाशित एवं पारेषित किया ?**

5- **क्या उक्त समयावधि में अभियुक्त ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया ?**

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक - 01 का विवेचन एवं निष्कर्ष</u> :-

6. सर्वप्रथम यह देखना होगा है कि क्या घटना दिनांक 09.08.2024 को अभियोक्त्री

18 वर्ष से कम आयु की होकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-2 डी के तहत बालक की श्रेणी में आती है ?

7. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में **अभियोक्त्री अ.सा.1** ने कथन करते हुए कहा है कि उसकी जन्मतिथि 23.04.2008 है तथा प्रकरण में संलग्न जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यप्रति प्र.पी.8-सी उसकी है एवं उसने कक्षा 1 की पढ़ाई शासकीय प्राथमिक शाला ढीमरटोला से की है। **अभियोक्त्री मां अ.सा.2 एवं अभियोक्त्री के पिता अ.सा.3** ने भी अभियोक्त्री की जन्मतिथि 23.04.2008 ही बताई है।

8. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में **शिक्षक साक्षी शोभा गौतम अ.सा.4** ने कथन किया है कि वह शासकीय माध्यमिक शाला बूढ़ी बालाघाट में प्रभारी प्रधान अध्यापक के पद पर पदस्थ है। अभियोक्त्री की दाखिल खारिज पंजी एवं प्रमाण पत्र साथ लेकर उपस्थित हुई है। दाखिल खारिज पंजी में जन्मतिथि की प्रविष्टि प्र.पी.12 होकर वर्ष 2012 से 2014 तक संधारित है जिसकी प्रविष्टि क्रमांक 1553 के अनुसार अभियोक्त्री की जन्मतिथि 23.04.2008 है। अभियोक्त्री ने कक्षा एक में दिनांक 08.07.2013 को दाखिला लिया था तथा कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात दिनांक 01.04.2018 को टी.सी. प्रदान की गई थी। उक्त प्रविष्टि प्र.पी.12 है तथा सत्यापित प्रति प्र.पी.12-सी है एवं शाला प्रमाण पत्र प्र. पी.13 है।

9. अभियोक्त्री स्वयं की जन्मतिथि 23.04.2008 बताती है। शिक्षक साक्षी के द्वारा अभियोक्त्री की स्कूल रिकार्ड के अनुसार दर्ज जन्मतिथि 23.04.2008 बताई गई है। उक्त संबंध में यह अवलोकनीय है कि प्र.पी.12-सी में भी अभियोक्त्री की जन्मतिथि 23.04.2008 उल्लेखित है। शिक्षक साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई

महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आए है जिनसे स्कूल रिकार्ड में दर्ज अभियोक्त्री की जन्मतिथि को संदेह की दृष्टि से देखा जाए। अभियोक्त्री एवं उसके माता-पिता की मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि 23.04.2008 बताई गई है। अभिलेख पर अभियोक्त्री के द्वारा जन्म प्रमाण की सत्यप्रति प्र.पी.8-सी संलग्न है, उक्त जन्म प्रमाण-पत्र में अभियोक्त्री की जन्म तिथि 23.04.2008 ही अंकित है। अभियोक्त्री के पिता ने भी बताया है कि उसने अभियोक्त्री का दाखिला कक्षा 1 में शासकीय प्राथमिक शाला ढीमरटोला के स्कूल में कराया था। स्वयं अभियोक्त्री की साक्ष्य से भी अभियोक्त्री की स्कूल रिकार्ड में दर्ज जन्मतिथि की पुष्टि होती है जिसे बचाव पक्ष द्वारा कोई विशेष चुनौती नहीं दी जा सकी है।

10. जहां तक अभियोक्त्री की जन्मतिथि का स्कॉलर रजिस्टर व जन्म प्रमाण-पत्र में उल्लेख किए जाने का प्रश्न है तो यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री की दाखिल खारिज पंजी प्रदर्श पी.12-सी एवं जन्म प्रमाण पत्र की सत्यप्रति प्र.पी. 8-सी प्रश्नगत घटना से पूर्व से अस्तित्व में है। ऐसे दस्तावेज जो विचाराधीन मामले की घटना के पूर्व से अस्तित्व में है, के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत ***Murugan alias settu Vs. State of Tamil Nadu (2011)6 SCC 111*** में ठहराया है कि-

> *Documents made ante litem motam can be relied upon safely, when such documents are admissible under Section 35 of the Indian Evidence Act, 1872. (Vide: Umesh Chandra vs. State of Rajasthan, AIR 1982 SC 1057; and State of Bihar & Ors. v. Sri Radha Krishna Singh & Ors., AIR 1983 SC 684).*

This Court in Madan Mohan Singh & Ors. v. Rajni Kant & Anr., AIR 2010 SC 2933, considered a large number of judgments including : Brij Mohan Singh v. Priya Brat Narain Sinha & Ors.

AIR 1965 SC 282; Birad Mal Singhvi v. Anand Purohit AIR 1988 SC1796; Updesh Kumar & Ors. vs. Prithvi Singh & Ors., AIR 2001 SC 703; State of Punjab vs. Mohinder Singh, AIR 2005 SC 1868; Vishnu @ Undrya v. State of Maharashtra, AIR 2006 SC 508; Satpal Singh v. State of Haryana (2010) 8 SCC 714, and came to the conclusion that while considering such an issue and documents admissible under Section 35 of the Evidence Act, the court has a right to examine the probative value of the contents of the document. Authenticity of entries may also depend on whose information such entry stood recorded and what was his source of information, meaning thereby,that such document may also require corroboration in some cases.

Rishipal Singh Solanki v. Amardeep CRIMINAL APPEAL NO.1240 OF 2021 decided on 18.11.2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया है कि-

That when the determination of age is on the basis of evidence such as school records, it is necessary that the

same would have to be considered as per Section 35 of the Indian Evidence Act, inasmuch as any public or official document maintained in the discharge of official duty would have greater credibility than private documents.

न्यायदृष्टांत- ***Rakesh v. The State Of Madhya Pradesh C.R.A.No.1128/2016 order dated 21 September, 2019*** में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायदृष्टांत को विचार में लेते हुए ठहराया है कि-

Thus, if the evidence led by the prosecution is considered in the light of above mentioned judgments then it is clear that when the School record of the prosecutrix is available, then it is not necessary to look for any other evidence and the School record is conclusive because at the time of admission of the child, nobody could have anticipated the present situation and under section 35 of Evidence Act, the school admission register is relevant.

11. उक्त विधि के आलोक में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रस्तुत दाखिल खारिज पंजी प्रदर्श 12-सी व जन्म प्रमाण पत्र की सत्यप्रति प्र.पी.-सी उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किये गये है। उक्त दस्तावेज प्रश्नगत घटना के पूर्व से अस्तित्व में है। साथ ही प्रस्तुत प्रकरण में स्कूल रिकार्ड पर अंकित जन्मतिथि की पुष्टि अभियोक्त्री, शिक्षक साक्षी एवं अभियोक्त्री के माता-पिता की मौखिक साक्ष्य से होती है, जो अखण्डित रही है। ऐसे में मात्र अभियुक्त को संलिप्त किए जाने के लिए उसकी रचना करने की संभावना नगण्य

है। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई प्रतिरक्षा स्थापित नहीं हुई है कि उक्त दस्तावेज असत्य या कूटरचित है। उक्त समस्त स्थिति को देखते हुए प्रदर्श पी-12सी की प्रविष्टि पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण अभिलेख पर नहीं है। ऐसे में दाखिल खारिज पंजी प्रदर्श पी-12सी व जन्म प्रमाण-पत्र की सत्यप्रति प्र.पी.8-सी विश्वसनीय दस्तावेज प्रतीत होते हैं। उक्त दस्तावेज में अभियोक्त्री की जन्मतिथि दिनांक 23.04.2008 दर्ज है। इस प्रकार अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि दिनांक 23.04.2008 होना प्रकट होती है।

12. घटना दिनांक 09.08.2024 से लगातार घटित होना बताई गई है। इस प्रकार अभियोक्त्री की जन्मतिथि व घटना दिनांक/घटना की अवधि को एक साथ विचार में लेने पर घटना समयावधि को अभियोक्त्री की आयु लगभग **16 वर्ष 03 माह 17 दिन** दिवस होना प्रकट होती है।

13. अतः साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष दिया जाता है कि घटना दिनांक 16.02.2022 को अभियोक्त्री 16 वर्ष से कम आयु की अर्थात् **16 वर्ष 03 माह 17 दिन** की होने के कारण, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-2 (डी) के अधीन **“ बालक ”** की श्रेणी की थी।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 02 से 05 का विवेचन एवं निष्कर्ष</u> :-

14. अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 09 अगस्त 2024 को दिन के 11:00 बजे अवयस्क अभियोक्त्री को बालाघाट के शेर-ए-पंजाब होटल में बुलवाकर उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया।

15. बलात्संग के संदर्भ में स्वयं अभियोक्त्री ही महत्वपूर्ण साक्षी होती है जिसमें उसके कथन ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। **अभियोक्त्री अ.सा.1** के कथन करती है कि दिनांक

09.08.2024 को आरोपी ने उसे शेर-ए-पंजाब होटल में मिलने बुलाया तो वह अपनी सहेली रितिका के साथ 11:00 बजे गई थी। वह शेर-ए-पंजाब होटल में कुछ देर रूकी फिर तीनों (आरोपी, अभियोक्त्री व अभियोक्त्री की सहेली) गांगुलपारा गये तथा वहां से आधे घंटे में वे लोग होटल वापस लौट आये उस समय उसकी सहेली चली गई। होटल में उन्होंने नाश्ता किये उसके बाद आरोपी उसे होटल के रूम में लेकर गया और वे लोग थोड़ी देर बैठे फिर नीचे आ गये। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कुछ नहीं किया तत्पश्चात वह अपने घर चली गई। आरोपी शेर-ए-पंजाब होटल में 03 दिन रूका था और वह तीनों दिन आरोपी से मिलने जाती थी उसके बाद आरोपी अपने घर चला गया, तत्पश्चात उसकी आरोपी से फोन पर बातचीत होती थी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ।

16. उसने महिला पुलिस थाना बालाघाट में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट की थी। लिखित आवेदन प्र.पी.1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2, सहमति पत्र प्र.पी.3, मौकानक्शा प्र.पी.4, जप्तीपत्रक प्र.पी.5 एवं न्यायालयीन बयान प्र.पी.6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्वीकार करती है कि उसने प्र.पी.1 की लिखित शिकायत माता-पिता के दबाव में दी थी। यह भी स्वीकार करती है कि वह आरोपी से प्यार करती है और आरोपी से ही शादी करना चाहती है।

17. अभियोक्त्री की **मां अ.सा.2** व अभियोक्त्री के **पिता अ.सा.3** अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते है उन्हें अभियोक्त्री ने बताई थी कि आरोपी ने उसे शेर-ए-पंजाब होटल में बुलवाया और उसके साथ गलत काम किया था। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि अभियोक्त्री के माता-पिता अभियोक्त्री के बताने

पर घटना की जानकारी होना बताते है। अभियोक्त्री की मां प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करती है कि अभियोक्त्री ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताई। ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री का प्रतिपरीक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है।

18. अभियोक्त्री का प्रतिपरीक्षण देखें, तो कंडिका 7 में स्वीकार करती है कि वह आरोपी तथा सहेली के साथ गांगुलपारा घूमने गई थी जहां उनकी केवल बातचीत हुई थी। आगे स्वीकार करती है कि आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया।

19. बलात्संग के संदर्भ में अभियोक्त्री की मेडिकल साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है जिसका मेडिकल परीक्षण दिनांक 08.10.2024 को **डॉ. गीता बारमाटे अ.सा.8** के द्वारा किया गया था। उन्होंने अभियोक्त्री के प्रायवेट पार्ट में कोई चोट नहीं पायी थी। किसी प्रकार रक्त स्त्राव या लालिमा नहीं थी तथा परीक्षण उपरांत उन्होंने अभियोक्त्री की 2 वैजाईनल स्लाइड, प्यूबिक हेयर एवं अंडरवियर सीलबंद कर संबंधित महिला आरक्षक को सौंपे जाने के संबंध में कथन किये है उनकी रिपोर्ट प्र.पी.21 है जिस पर उनके हस्ताक्षर है। साक्षी यह भी बताती है कि उन्होंने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में निश्चित अभिमत नहीं दिया। उपरोक्त मेडिकल साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि नहीं होती कि अभियोक्त्री के साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया गया हो।

20. अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था। मेडिकल परीक्षण **डॉ. गौरव करवते अ.सा.5** ने दिनाक 15.10.2024 को किया था उनकी रिपोर्ट प्र.पी.15 है जिसके अनुसार अभियुक्त संभोग करने में सक्षम था उनके द्वारा आरोपी की सीमेन स्लाईड, प्यूबिक हेयर, अंडरवियर तथा दो एम.एल.ब्लड सेंपल ईडीटीए वायल में लेकर उन्हें सीलबंद व प्रिजर्व कर

संबंधित आरक्षक को सौंप दिये थे। साक्षी को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

21. प्रकरण में डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी.36 भी संलग्न है जिसका अवलोकन करें तो पीड़िता के स्त्रोत वैजाईनल स्लाईड (प्रदर्श-A), अंडरवियर (प्रदर्श-C) से Y-Chromosome STR DNA Profile प्राप्त नहीं हुई है। पीड़िता के स्त्रोत प्युबिक हेयर (प्रदर्श-B) से Un-interpretable Y-Chromosome STR DNA (low male DNA Profile प्राप्त हुई है तथा आरोपी मोहम्मद इंसाफ शेख के स्त्रोत प्यूबिक हेयर (प्रदर्श-F) से Un-interpretable Y-Chromosome STR DNA (Very low male DNA Profile प्राप्त हुई है, इस प्रकार प्राप्त परिणामों के आधार पर पीड़िता के स्त्रोत प्यूबिक हेयर (प्रदर्श-B) से Un-interpretable (Y-STR) DNA Profile प्राप्त होने के कारण इसका मिलान आरोपी मोहम्मद इंसाफ शेख के स्त्रोत रक्त रमूना (प्रदर्श-D) से प्राप्त (Y-STR) DNA Profile से कर, निश्चयात्मक अभिमत दिया जाना संभव नहीं पाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त डी.एन.ए. रिपोर्ट भी निगेटिव प्राप्त हुई जिससे भी आरोपी व अभियोक्त्री के साथ लैंगिक संबंध स्थापित होने की पुष्टि नहीं होती है।

22. अब यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि आरोपी ने अभियोक्त्री को शेर-ए-पंजाब होटल में बुलवाया। इस संबंध में देखें तो अभियोक्त्री ने बताया है कि आरोपी इंसाफ ने उसे दिनांक 09.08.2024 को शेर-ए-पंजाब होटल में बुलवाया था और वह होटल में तीन दिन रूका और वह तीनों दिन उससे मिलने जाती थी। इस संबंध में निरीक्षक अशोक ननामा अ.सा.9 के कथन महत्वपूर्ण हो जाते है जिन्होंने प्रश्नगत होटल के मालिक रवीन्द्र सिंह भाटिया से

आंगतुक एन्ट्री रजिस्टर जप्त कर अभिलेख पर पेश किया है किंतु अभियोजन की ओर से प्रश्नगत होटल के संचालक के कथन नहीं कराए है। अब यदि तर्क के लिये यह मान भी लें कि आरोपी होटल में रूका तो संलग्न पंजी का अवलोकन करें तो संबंधित संचालक को पुलिस द्वारा धारा 94 बी.एन.एस.एस., 2023 का नोटिस दिया गया जिसमें संचालक द्वारा आरोपी के दिनांक 09.08.2024 को होटल में आना तो बतलाया गया और चेक आउट की तिथि 10.08.2024 बताया है अर्थात आरोपी होटल में 01 दिन ही रूका किंतु अभियोक्त्री कहती है कि आरोपी शेर-ए-पंजाब होटल में दिनांक 09.08.2024 को आया और 03 दिन तक रूका और वह तीनों दिन उससे मिलने होटल गई, ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री व संलग्न होटल की पंजी में संचालक द्वारा नोटिस में उल्लेख की गई इबारत में भी संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि आरोपी को होटल के संचालक द्वारा जो रसीद प्रदान की गई उसमें भी 10.08.2024 की तिथि का उल्लेख एवं आरोपी के द्वारा एक दिन पूर्व ही अर्थात 09.08.2024 को ही होटल का बिल ऑनलाईन जमा किया है किंतु उक्त 1500/-रू. की राशि आरोपी के द्वारा ही अपने मोबाईल से अदा की गई, इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में आरोपी के बालाघाट आने और शेर-ए-पंजाब होटल में रूकने की तिथियों में भी गंभीर विरोधाभाष दर्शित होता है।

23. अब यह देखा जाना है कि आरोपी अली मोहम्मद इंसाफ शेख उर्फ राज ने प्रश्नगत घटना दिनांक को अभियोक्त्री के अश्लील फोटोग्राफ्स, अभियोक्त्री की सहमति के बिना अपने मोबाईल से खींचकर उसे अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल नंबर पर प्रसारित व प्रकाशित एवं पारेषित कर अभियोक्त्री की एकांतता का उल्लंघन किया।

24. उपरोक्त के संबंध में अभियोक्त्री के कथन देखें, तो अभियोक्त्री घटना 09.08.2024 की होना बताती है। आगे कथन करती है कि पिछले वर्ष आरोपी से उसकी इंस्टाग्राम के जरिये जान-पहचान हुई थी। आरोपी की इंस्टाग्राम आई.डी. का नाम एम.आर.राज आर.डी.ओ.एक्स. था तथा उस समय आरोपी ने उसका नाम राज बताया था। उसकी आई.डी. बूज-तोषी के नाम से है तथा उक्त आई.डी. वह अपनी मां के मोबाईल नंबर 7697030105 से चलाती थी। आरोपी ने उसका मोबाईल नंबर मांगा था और 9328310329 से कॉल किया था। पक्षद्रोही होने पर अभियोक्त्री यह स्वीकार करती है कि आरोपी अलग-अलग नंबर अर्थात 9692136182 व 8733050918 से भी फोन करते रहता था। यह स्वीकार करती है कि उसके पिता का नंबर 9425036278 है। अभियोक्त्री की मां अपना मोबाईल नंबर 7697030105 तथा पिता अपना मोबाईल नंबर 9425036278 ही बताते हैं। पक्षद्रोही होने पर अभियोक्त्री का पिता अ.सा.3 स्वीकार करता है कि आरोपी ने उसे मोबाईल नंबर 9328310329 व 8733050918 से फोन कर धमकी देता था और आरोपी ने उसे मोबाईल नंबर 9328310329 से फोटो भिजवाया था किंतु अभियोक्त्री से इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो लिये हो और उन्हें उसके पिता के व्हाट्सअप नंबर पर भेजा हो।

25. **निरीक्षक अशोक ननामा अ.सा.9** की साक्ष्य देखें तो उन्होंने दिनांक 15.10.2024 को आरोपी के पेश करने पर उसका वीवो कंपनी का मोबाईल आर्टिकल ए-3 जिसमें जियो कंपनी की सिम नंबर 9328310329 लगी थी जप्त किया था तथा अभियोक्त्री के पिता द्वारा पेश किए जाने पर वीवो कंपनी का मोबाईल आर्टिकल ए-4 जिसमें 9425036278 नंबर की सिम लगी थी, जप्त किया था।

26. अब यह देखा जाना है कि क्या आरोपी के द्वारा मोबाईल नंबर 9328310329 से अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल नंबर 9425036278 पर ही अश्लील फोटोग्राफ्स प्रसारित किए गए। इस संबंध में अभियोक्त्री के पिता ने स्वीकार किया है कि आरोपी ने मोबाईल नंबर 9328310329 व 8733050918 से उसे फोन कर धमकी दिया था तथा मोबाईल नंबर 9328310329 से उसके मोबाईल नंबर 9425036278 पर फोटो भिजवाया था जिनके कथनों का समर्थन अभियोक्त्री ने नहीं किया है।

27. अब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रश्नगत नंबरों का मोबाईल उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड था, जो उसका संचालन कर रहे थे। इस संबंध में देखे, तो मोबाईल नंबर 9692136182 उड़ीसा निवासी किसी सलीम बारजो के नाम से दर्ज है, मोबाईल नंबर 8733050918 अमित यादव के नाम से है तथा मोबाईल नंबर 7697030105 रीना महानंद (अभियोक्त्री की मां) तथा मोबाईल नंबर 9425036278 धनेन्द्र महानंद (अभियोक्त्री के पिता) के नाम से रजिस्टर्ड है तथा मोबाईल नंबर 9328310329 राठौर कालाबेन बाबूभाई के नाम से रजिस्टर्ड है जिसे आरोपी से जप्त किया गया है।

28. **निरीक्षक अशोक ननामा अ.सा.9** ने यह भी बतलाया है कि उनके द्वारा आरोपी से जप्त वीवो कंपनी के मोबाईल को फारेसिंक जांच हेतु सायबर फारेसिंक युनिट जोन बालाघाट भिजवाया गया था जहां से फारेसिंक रिपोर्ट प्र.पी.41 व प्र.पी.42 भी प्राप्त हुई है जो कि प्रकरण में संलग्न है। प्र.पी.41 की रिपोर्ट के अनुसार जप्तशुदा मोबाईल के डाटा का फॉरेंसिक विश्लेषण करने के उपरांत अश्लील फोटो को आरोपी के द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से भेजा जाना पाया गया है।

29. अब यह देखना होगा कि क्या आरोपी के द्वारा ही प्रश्नगत मोबाईल नंबर से

अभियोक्त्री के पिता के प्रश्नगत मोबाईल नंबर पर फोटो को प्रसारित किया और क्या उक्त मोबाईल पर लगी सिम आरोपी के नाम से पंजीयत थी। इस संबंध में अभियोक्त्री के पिता ने बतलाया है कि आरोपी ने मोबाईल नंबर 9328310329 से उसके मोबाईल नंबर 9425036278 पर फोटो भिजवाया था। अभियोक्त्री का पिता प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार करता है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। यह बताता है कि फोन पर आरोपी ने अपना नाम राज पटेल बताया था, उसी के आधार पर पहचानना बता रहा है।

30. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि आरोपी से जप्त प्रश्नगत मोबाईल आरोपी का नहीं है, किसी राठौर काला बेन बाबूभाई के नाम से रजिस्टर्ड है। अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि आरोपी ही प्रश्नगत घटना दिनांक को उक्त मोबाईल का संचालन कर रहा था। मात्र फारेसिंक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

31. उक्त तर्क के संबंध में देखें तो निरीक्षक अशोक ननामा अ.सा.9 प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि आरोपी से जो मोबाईल जप्त हुआ वह उसका नहीं है, उसकी मां का है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि प्रश्नगत मोबाईल नंबर जिससे आरोपी द्वारा फोटो प्रसारित किए गए, आरोपी की मां अर्थात राठौर काला बेन बाबूभाई के नाम से रजिस्टर्ड है किंतु साक्षी इस बात से इंकार करता है कि राठौर काला बेन बाबूभाई आरोपी की मां का नाम है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि उसने आरोपी की मां से पूछताछ कर उनके कथन लेख नहीं किए है। अभियोक्त्री ने जो अन्य दो नंबरों से आरोपी के द्वारा उससे बातचीत करना बताया है वह जिन व्यक्तियों के नाम से रजिस्टर्ड थे, के कथन भी अभियोजन की ओर से नहीं कराए गए है। ऐसी स्थिति अभियोजन यह प्रमाणित करने में

असफल रहा है कि जिन फोटोग्राफ्स को अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल पर जिस मोबाईल/सिम के माध्यम से भेजा गया उक्त मोबाईल व सिम आरोपी के नाम से ही रजिस्टर्ड थी।

32. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि फारेसिंक रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि आरोपी के द्वारा प्रश्नगत अश्लील फोटोग्राफ्स कहां से लिये गये, किस दिनांक को लिये गये। इस संबंध में सायबर प्रभारी फारेसिंक विपिन डहेरिया अ.सा.10 के कथन महत्वपूर्ण हो जाते है जिन्होंने आरोपी द्वारा मोबाईल से पीड़िता के अश्लील फोटो को पीड़िता के पिता को भेजा जाना बताया है किंतु वह किस स्थान से लिये गये, की लोकेशन का उल्लेख नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रश्नगत घटना दिनांक को आरोपी बालाघाट शेर-ए-पंजाब होटल में था। आगे उक्त साक्षी ने यह भी नहीं बताया है कि प्रश्नगत फोटो को आरोपी के द्वारा किस दिनांक को लिये गये और किस दिनांक को पीड़िता के पिता के मोबाईल पर भेजा गया। उपरोक्त तर्क को और अधिक गहनता से देखें तो मोबाईल फारेंसिक सायबर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है प्र.पी.42 की रिपोर्ट का अवलोकन करें तो जिन अश्लील फोटोग्राफ्स की प्रतियों को रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है कि उसमें जितने भी अश्लील फोटोग्राफ्स है उसमें Capture Time 12-08-2024 अंकित है जबकि आरोपी उक्त तिथि को बालाघाट में था ही नहीं जिसकी पुष्टि शेर-ए-पंजाब होटल की पंजी से होती है जिसमें आरोपी द्वारा दिनांक 10.08.2024 को चेकआउट किये जाने का उल्लेख है एवं अभियोक्त्री ने भी आरोपी को तीन दिन तक होटल में रूकना एवं उसके पश्चात चले जाना बताया है। जब आरोपी 12.08.2024 को बालाघाट में था ही नहीं तो उक्त फोटोग्राफ्स 12.08.2024 कब, कहां लिये गये, इस साक्ष्य का भी

अभाव है।

33. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कथन करते हुए यह कहा गया है कि इस मामले में जो साक्ष्य अभिलेख पर आयी है उसके आधार पर यह प्रमाणित है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के मध्य शारीरिक लैंगिक संबंध स्थापित हुए थे। यह भी तर्क है कि अभियोक्त्री उस समय अवयस्क थी और अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्री के साथ ऐसा कर बलात्कार किया गया तथा प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया। यह भी तर्क किया गया है कि अभियुक्त ने ही अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल पर अभियोक्त्री के अश्लील फोटोग्राफ्स को भेजकर उसे प्रसारित किया है। दूसरी ओर अभियुक्त के विद्वान कांउसेल ने तर्क करते हुए कहा है कि अभियोक्त्री ने घटना का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। डी.एन.ए. रिपोर्ट भी ऋणात्मक पायी गई है। अभियोजन यह भी प्रमाणित नहीं कर सका है कि प्रश्नगत मोबाईल व सिम आरोपी के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। अतः आरोपी को दोषमुक्त किया जाये।

34. ऊपर की गई विवेचना के अनुसार यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। चिकित्सीय साक्ष्य एवं डी.एन.ए. रिपोर्ट प्र.पी.36 से भी अभियोक्त्री के शरीर पर मानव शुक्राणु पाये जाने की पुष्टि नहीं हुई है। उक्त रिपोर्ट भी आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित नहीं है। अभियोक्त्री जो कि घटना की आहत व पीड़ित पक्षकार है, ने घटना का किसी प्रकार से कोई समर्थन नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आरोपी ने उसके साथ किसी प्रकार कृत्य किया हो।

35. जहां तक आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के अश्लील फोटोग्राफ्स अपने मोबाईल पर खींचकर, अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसकी एकांतता का उल्लंघन कर उसे

अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल पर प्रसारित किए जाने का प्रश्न है तो यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि प्रश्नगत मोबाईल आरोपी के नाम से रजिस्टर्ड थी तथा जिन मोबाईल नंबरों से आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के पिता को धमकी दी या फोटोग्राफ्स को प्रसारित किया गया, के रजिस्टर्ड स्वामियों के कथनों के अभाव में भी आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल में अश्लील फोटोग्राफ्स प्रसारित किए जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

36. उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोक्त्री तथा उसकी माता एवं पिता की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पायी जाती है। यद्यपि अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम प्रमाणित है परंतु आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर आयी साक्ष्य आरोपी के विरूद्ध उपधारणा किए जाने हेतु मूलभूत तथ्य स्थापित नहीं करते है तब यह स्पष्ट है कि आरोपी के विरूद्ध धारा 29 व 30 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत उपधारणा किये जाने हेतु मूलभूत तथ्य (Foundational Fact) स्थापित नहीं होते हैं तथा अभियोजन घटना, अभियोक्त्री व अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है।

37. अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन, आरोपी के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि घटना दिनांक 09.08.2024 को अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका है, को शेर-ए-पंजाब होटल बालाघाट में बुलाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती बलात्कार किया एवं बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता कि अभियोक्त्री की अश्लील फोटो अपने मोबाईल से खींचकर उसे अभियोक्त्री के पिता के मोबाईल पर प्रसारित किया तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता कि अभियोक्त्री की सहमति के बिना उसकी एकांतता का

उल्लंघन कर उसके अश्लील फोटोग्राफ्स खींचे तथा उन्हें प्रकाशित एवं पारेषित किया।

38. अतः प्रमाणित न पाये जाने के आधार पर आरोपी **अली मोहम्मद इंसाफ शेख उर्फ राज पिता मोहम्मद इम्तेयाज शेख** को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 (1) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 (B), 66 (E) के आरोपों से **"दोषमुक्त"** किया जाता है।

39. अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः उसके जेल वारंट पर इस आशय की टीप लेख की जावे कि उसे इस मामले में दोषमुक्त किया गया है उसकी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब अभिरक्षा से स्वतंत्र किया जावे।

40. अभिलेख के अनुसार अभियुक्त दिनांक 15.10.2024 से दिनांक 12.03.2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहा हैं। उक्त संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के तहत प्रमाण-पत्र तैयार कर संलग्न किया जाये।

41. प्रकरण में अभियोक्त्री का जन्म प्रमाण-पत्र प्र.पी.1 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किए जाने पर असल अभियोक्त्री को वापस लौटाया जावे।

42. प्रकरण में पीड़िता के पिता धनेन्द्र महानंद से जप्तशुदा मोबाईल वीवो मॉडल नंबर V2027, IMEI No. 864080055715954, 864080055715947 तथा सिम नंबर 89918630500053060186 के पंजीकृत स्वामी को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर अश्लील सामग्री (डाटा) डिलिट करने के उपरांत अपील अवधि पश्चात वापस किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

43. आरोपी अली मोहम्मद इंसाफ शेख उर्फ राज से जप्तशुदा मोबाईल वीवो कंपनी का मॉडल मोबाईल नंबर जियो सिम 9328310329 जिसका IMEI No. 860159067903297, 86015906790 के पंजीकृत स्वामी को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर अश्लील सामग्री (डाटा) डिलिट करने के उपरांत अपील अवधि पश्चात वापस किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

44. प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति वैजाइनल स्लाइड, सीमेन स्लाइड, प्यूबिक हेयर व ब्लड नमूना मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जावे तथा अन्य संपत्तियां सी.डी./डी.व्ही.डी. अभिलेख का भाग होने से अभिलेख में संलग्न रहेगी।

45. यह आदेशित किया जाता है कि अभियोक्त्री का नाम, पता, फोटोग्राफ अथवा परिवार की जानकारी एवं ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी प्रकाशन ना किया जाए, जिससे अभियोक्त्री की पहचान प्रकट हो सके।

46. निर्णय को सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

स्थान-बालाघाट

दिनांक-12.03.2026

(गौतम सिंह मरकाम)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बालाघाट
जिला बालाघाट (म.प्र.)

GOUTAM SINGH MARKAM

Digitally signed by GOUTAM SINGH MARKAM
Date: 2026.03.12 16:49:47 +0530